

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखचैन सिंह बनाम कुलदीप सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए नम्बर 120 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/170

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06.05.2025	वादी सुखचैन सिंह पुत्र निरवैर सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो।	सम्मन जारी २२। <u>6/5/25</u>
5 16/5	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	Kumar
5 27/5	पत्रावली पेश हुई। सम्मन तलबी प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्तु में तलबी दिनांक 16/6/25 को पेश हो।	
06 16/5	बार सब का कार्य समाप्त है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 16/7/25 को पेश हो।	Kumar
7 16/5	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी की तलबी प्राप्त नहीं। तलबी पेजीकृत झक से करवाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्तु तलबी दिनांक 30/7/25 को पेश हो।	
30 25	वादी व वादी अधिवक्ता को रक-२ कर 3 बार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 RTA अदम्य रैखी, अदम्य हाजरी से खारिज किया जाता है। पत्रावली दिनांक होकर शम्बर से कम होकर दाखिल कम्प्लैट हो।	



सहायक कलक्टर एवं फर्द
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)